



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

भारत सरकार
उत्तराखण्ड

पत्रांक- 1724 /12-1 देहरादून:

दिनांक: 13 मार्च, 2026

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।

विषय- जनपद नैनीताल के ब्लाक ओखलकाण्डा में कटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal No. - FP/UK/ROAD/43594/2019)

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का ई0डी0एस,
दिनांक 19.02.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र 3960/12-1 दिनांक-02/03/2026 के द्वारा नोडल कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में इंगित कमियों का निराकरण कर आख्या निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | आपत्ति | निराकरण |
|---------|---|---|
| 1. | A Correct KML file of proposed road as 1.53 ha shall be uploaded by the User Agency/State Government. | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यदायी संस्था द्वारा संशोधित KML परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। जिससे नोडल कार्यालय स्तर पर जांच लिया गया है। |
| 2 | A full KML file of road (Forest area and Non-forest area) shall be submitted in different colour | प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि KML में वन क्षेत्र एवं गैर वन क्षेत्र को पृथक-पृथक रंगों में दर्शित करते हुए परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिसे नोडल कार्यालय स्तर पर जांच लिया गया है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के स्तर से प्राप्त आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथा संशोधित 2023 के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

&

संख्या-1724/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)।

(डॉ० एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

&

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3960 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 11/03/2026

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद नैनीताल के ब्लॉक ओखलकाण्डा में कंटना से वारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :- क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं०-08 बी/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०२७/एफ०सी० दिनांक 19.02.2026

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के पत्रांक 3960/12-1 दिनांक 02.03.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
Email-dfo.champawat@rediffmail.com / Fax-(05965)230180



पत्रांक 3960 / 12-1

दिनांक, चम्पावत, 02.03.2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोडा।

विषय—

जनपद-नैनीताल के ब्लॉक-ओखलकाण्डा में कटना से बारी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० भूमि का गैर आनिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ—

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, देहरादून का पत्रांक 8B/UCP/06/216/2027/FC Dated 19.02.2026.

सहोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल) का पत्रांक 405/8सी० दिनांक 28.02.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है

| क्र०सं० | प्रस्ताव में पायी गयी आपत्तियाँ | आपत्तियों का निराकरण |
|---------|--|---|
| 1. | A Correct KML file of proposed road as 1.53ha shall be uploaded by the user agency / state government. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल में उक्त संशोधन कर लिया गया है। |
| 2. | A full KML file of road (forest area and non forest area) shall be submitted in different colour. | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल में उक्त संशोधन कर लिया गया है। |

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 3960 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि—जिलाधिकारी, नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 3960 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि—अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, भवाली को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।